जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 18.06.2022

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामदः-

आज दिनांक 18.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 30 ग्राम अवैध स्मैक सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- सावेज पुत्र सालिम निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1.मु0अ0सं0 205/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 892/15 धारा 323/377/498ए/504/506 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 181/2022 धारा 24/25 एन0डी0पी0एस0 अधि0 एन0सी0बी0 करनाल हरियाणा।

4.मु0अ0सं0 306/2022 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 अधि0 थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध स्मैक 30 ग्राम।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.06. 2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.06 .2022 को कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ छेडछाड करने के संबंध में पीड़िता के द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कैराना को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मलिक पुत्र सतपाल निवासी बीच की आल कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी/मॉनीटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा विद्युत अधिनियम के मामले में अभियुक्त को सुनाई गई कारावास सजा।

वर्ष 2018 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत सामान की चोरी की घटना कारित की गई थी। घटना के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के अभियंताओं द्वारा बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 145/18 धारा 136 विद्युत अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त राजकुमार कश्यप पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को मय माल के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद पुलिस द्वारा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय में उक्त मामले का विचारण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा मॉनीटरिंग सेल को साक्ष्य एवं साक्षियों को समय से उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन जनपद शामली की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा अभियुक्त राजकुमार को मु0अ0सं0 145/18 धारा 136 विद्युत अधि0 में 03 वर्ष 05 माह 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है।

थाना गढीपुख्ता

01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कार0 315 बोर बरामद- आज दिनांक 18.06.2022 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कामा चौहान पुत्र गय्युर चौहान निवासी गुराना थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली को अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।